न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 86/2021

प्रार्थीगण :–
1. बलवन्तसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह वगैरा (13)
जाति राजपूत निवासी गादेवी, बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–
1. खेताराम पुत्र चिमनाराम वगैरा (41)
जाति जाट निवासी गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
1. श्री जगदीश विश्नोई अधिवक्ता प्राथी
2. अप्रार्थीगण – उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 16/10/21

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन डाक द्वारा प्रेषित किये गये।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प गादेवी पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विप्रार्थीगण को मजमेआम सुना गया। एवं मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी दिनांक 30.07.2021 सरहद मौजा गादेवी के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 6.3940 हैक्टेयर व मौजा गादेश्वरी के खेत खसरा नम्बर 258 रकबा 9.1459 हैक्टेयर पटवार मण्डल बाटा तहसील गुडामालानी का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दौनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा गादेवी के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 6.3940 हैक्टेयर व मौजा गादेश्वरी के खेत खसरा नम्बर 258 रकबा 9.1459 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को आवश्यक पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहसील [illegible] पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:29:31 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 16/10/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय गादेवी में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)

क्रमांक: वाद/2021/ 69

दिनांक : 16/10/21

प्रार्थीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

कमलसिंह कोटा — खेताराम कोटा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 86/21 — निर्णय दिनांक :– 16/10/21

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम गाडेवी रेवत गाडेवली के खेत खसरा नम्बर 191 रकबा 6-3740 हे० खसरा नम्बर 258 रकबा 9.1459 हे० खसरा नम्बर — रकबा — खसरा नम्बर — रकबा — एवं खसरा नम्बर — रकबा — की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को कमी नर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये 1000/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी

क्रमांक: वाद/2021/ 70-74 — दिनांक : 16/10/21

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी गुड़ामालानी
3. हल्का पटवारी कोटा को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी कमलसिंह कोटा
5. विप्रार्थी खेताराम कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.01.14 10:29:31 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी